सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का
दशम् सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का दशम् सत्र सोमवार, दिनांक 5 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 21 मार्च, 2018 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
दशम् सत्र	21	फरवरी माह – 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 मार्च माह – 5, 6, 7, 9

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2018 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा सचिव ने सदन की मेज पर रखी। दिनांक 6 फरवरी, 2018 को सदस्य श्री अभिषेक मटोरिया द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन सदस्य श्री मानसिंह ने किया। प्रस्ताव पर चार दिन हुई चर्चा के पश्चात् 9 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वाद–विवाद का उत्तर दिया। वाद–विवाद में 39 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 6 फरवरी, 2018 को 9; 7 फरवरी, 2018 को 9; 8 फरवरी, 2018 को 13 तथा 9 फरवरी, 2018 को 8 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 23, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 10, तीन निर्दलीय सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के श्री मनोज कुमार, एन.पी.पी. के श्री नवीन पिलानिया तथा एन.यू.जेड.पी. की श्रीमती सोना देवी ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेने वाली 5 महिला सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की 3, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत एवं एन.यू.जेड.पी. की श्रीमती सोना देवी सम्मिलित थीं।

उल्लेखनीय है कि माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने जब सदन में अभिभाषण आरम्भ किया, तब सदन में व्यवधान उपस्थित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिये जाने का आग्रह किया, तत्पश्चात् अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया। इस दौरान सदन में आसन को पुष्पों से सुसज्जित किया गया।

शपथ/प्रतिज्ञान

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 7 फरवरी, 2018 को माण्डलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव में निर्वाचित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य श्री विवेक धाकड़ ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की।

सर्वश्रेष्ठ विधायक का चयन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2018 को माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति की दिनांक 27 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से तेरहवीं व चौदहवीं राजस्थान विधान सभा की अवधि के लिये निम्नांकित विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया–

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा

श्री राजेन्द्र राठौड़	वर्ष 2009
श्री गुलाब चन्द कटारिया	वर्ष 2010
श्री अमराराम (धोद)	वर्ष 2011
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास	वर्ष 2012
श्री राव राजेन्द्र सिंह	वर्ष 2013

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा

श्री मानिक चन्द सुराना	वर्ष 2014
श्री जोगाराम पटेल	वर्ष 2015
श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	वर्ष 2016
श्री बृजेन्द्र सिंह ओला	वर्ष 2017
श्री अभिषेक मटोरिया	वर्ष 2018

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पूर्व में बारहवीं राजस्थान विधान सभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में श्री शांतिलाल चपलोत को वर्ष 2003–04 के लिए तथा श्री भरत सिंह को वर्ष 2007 के लिए चयनित किया गया था, जिन्हें सम्मानित किया जाना है।

उन्होंने माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया कि उपरोक्त विधायकों को माननीय अध्यक्ष व माननीय मुख्यमंत्री महोदया की ओर से स्मृति चिह्न तथा प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु एक समारोह विधान सभा के सदन में दिनांक 6 मार्च, 2018 को विधान सभा की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरन्त पश्चात् आयोजित किया जाएगा।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 20 फरवरी, 2018 को सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर लाल डूडी ने प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत इस आशय का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उठाया कि 'दिनांक 16 फरवरी, 2018 को संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़जी ने बिना किसी नोटिस व पूर्व सूचना के, एक अखबार की कटिंग और काट–छांट कर बनाये गये वीडियो के आधार पर मेरे ऊपर तीन करोड़ रुपये का सट्टा लगाने के असत्य, मनगढंत और तथ्यहीन आरोप लगाये।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ ने आसन के आदेश और विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–273 की

अवहेलना करते हुए मुझ पर व्यक्तिगत लांछन लगाना जारी रखा और आसन के द्वारा स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् भी आपने मुझे बोलने नहीं दिया, इससे मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है और मैं अपने दल के दस विधायकों के समर्थन के साथ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–157 के तहत संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ के विरुद्ध यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस पर आप द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।'

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम–162 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को प्रथम दृष्ट्या जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु निर्देशित कर रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री मदन राठौड़, सरकारी उप मुख्य सचेतक ने प्रक्रिया के नियम 288 व 289 को उद्धृत करते हुए इन नियमों के अन्तर्गत एक पैन–ड्राइव को विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी प्रकरण के साक्ष्य के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध किया, जिस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न व्यवस्था दी कि 'माननीय संसदीय कार्य मंत्री या सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 288 व 289 के अधीन एक पैन–ड्राइव को विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी प्रकरण के साक्ष्य के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की प्रार्थना की गई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा आज प्रात: व्यवस्था देकर इस प्रकरण को नियम–162 के अधीन विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसे में इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पैन–ड्राइव व इस प्रार्थना पत्र को भी जांच व अनुसंधान की विषय–वस्तु मानते हुए मैं विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्मिलित करने की व्यवस्था देता हूँ।'

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2018 को सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर लाल डूडी द्वारा कथित काले कानून को वापस लेने एवं किसानों का कर्जा माफ नहीं करने के विरोध में अपने विचार व्यक्त करने पर पक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा नारेबाजी के फलस्वरूप सदन में अव्यवस्था हुई।

2. दिनांक 16 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ द्वारा उप चुनावों में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कथित रूप से सट्टा लगाये जाने का मुद्दा उठाये जाने से सदन में अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ और सदन की बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित हुई। बैठक 12.47 बजे पुनः समवेत होने पर व्यवधान जारी रहने के कारण 2 बजे तक के लिए पुन: स्थगित की गई। व्यवधान के लगातार जारी रहने के फलस्वरूप बैठक अगले दिवस तक के लिए स्थगित की गई।

3. दिनांक 19 फरवरी, 2018 को श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष पर लगाये आरोपों के सम्बन्ध में बोलने का पूरा अवसर नहीं दिये जाने के विरोध में इनेकां के सदस्यों द्वारा

सदन कूप में आकर नारेबाजी किये जाने से सदन में व्यवधान हुआ और सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की गयी। बैठक 1.45 बजे पुनः समवेत होने पर फिर से 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

4. दिनांक 20 फरवरी, 2018 को विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था के उपरांत सदन में शोर–शराबा और व्यवधान होने के फलस्वरूप बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की गयी।

5. दिनांक 23 फरवरी, 2018 को प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति के बिना कर्ज माफी को लेकर जारी किसान आन्दोलन का मुद्दा उठाये जाने एवं सदन कूप में आकर नारेबाजी किये जाने से सदन में अव्यवस्था हुई जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की गयी। 1.14 बजे समवेत होने पर बैठक को पुनः 2 बजे तक स्थगित किया गया।

बहिर्गमन

1. दिनांक 8 फरवरी, 2018 को प्रश्न संख्या 54 को स्थगित किये जाने के निर्णय के विरोध में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

2. दिनांक 15 फरवरी, 2018 को प्रदेश में अवैध बजरी निकासी पर कार्यवाही विषयक प्रश्न संख्या 125 के स्थगित किये जाने के निर्णय के विरोध में नारेबाजी की गई जिससे सदन में अव्यवस्था हुई, तत्पश्चात् प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. दिनांक 5 मार्च, 2018 को शून्यकाल आरम्भ होते ही इनेकां के सदस्यों द्वारा प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग करते हुए सदन कूप में आकर नारेबाजी और शोर–शराबा करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 9 फरवरी, 2018 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 6 फरवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर नियम–15 के अन्तर्गत संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की सूचना पर तीन दिवसों के पश्चात् भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष से व्यवस्था देने हेतु निवेदन किया। माननीय उपाध्यक्ष ने इसके सम्बन्ध में व्यवस्था दी कि 'राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात् माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–15 के अधीन दिनांक 5 फरवरी, 2018 को अभिभाषण के लिये प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं, तो वह उस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। मेरे व माननीय सदस्य के बीच इस सम्बन्ध में वार्ता भी हुई।

सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद में बोलने के लिए श्री घनश्याम तिवाड़ी, माननीय सदस्य का नाम दिनांक 8 फरवरी, 2018 की सूची में सम्मिलित किया गया था। माननीय सदस्य को आसन की ओर से यह कहा गया कि आसन उनसे कुछ निवेदन करना चाहता है। इस पर उन्होंने आसन की बात सुने बिना ही सदन छोड़ दिया। उनके इस आचरण से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव का त्याग कर दिया। ऐसे में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वत: ही बिना चर्चा के निरस्त माना जाता है।'

2. दिनांक 14 फरवरी, 2018 को आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2018–19 पर सामान्य वाद–विवाद शुरू होते ही श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम–142 को उद्धृत करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि 'इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी गई सूची के अनुसार चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु आज यह जो कार्य–सूची हमारे पास भेजी गई है उसमें अंत में लिखा है कि विभिन्न दलों के सचेतकों और नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जाएगी। तीन प्रकार के माननीय सदस्य हैं, विभिन्न राजनैतिक दलों से बंधे हुए सदस्य और निर्दलीय। निर्दलीय सदस्यों को तो आसन अपनी इच्छानुसार बोलने की अनुमति दे देता है। इस लोकतंत्र में विमत होना स्वाभाविक है और यह विमत सत्तारूढ़ दल में भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में जिन माननीय सदस्यों का नेता से, सचेतक से या संसदीय कार्य मंत्री से या प्रतिपक्ष के नेता या सचेतक से किसी बात पर मतभेद होगा, तो वह अपनी सूची में उनके नाम देगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में वह माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र की या सम्पूर्ण राज्य की बात सदन के सामने नहीं रख सकता। सदन में इन माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षक केवल आसन होता है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि प्रक्रिया के नियम–142 के अनुसार व्यवस्था करें।'

श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री कालू लाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा विचार व्यक्त करने के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी कि 'हम कुछ परम्पराओं का अनुसरण कर रहे हैं। आज के बाद आसन किसी प्रकार की कोई भी लिस्ट के क्रम से नहीं बंधा हुआ है। जैसा आसन चाहेगा, उस प्रकार से, उस क्रम में उन वरिष्ठ या सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को बुलवाएगा। साथ ही मैं सम्पूर्ण सदन का ध्यान कुछ दिनों पहले आसन द्वारा दी गई उस अभिव्यक्ति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आसन ने पिछले सप्ताह ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि आसन किसी भी सूची से बंधा हुआ नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य अगर ऐसा समझता है और उसको यह आशंका है कि वह बोलना चाहते हैं और सारे ही सचेतक, प्रतिपक्ष के और पक्ष के उन्हें कहीं समय नहीं दे रहे हैं तो उनको स्वतंत्रता है आसन से प्रार्थना करने की।'

3. दिनांक 15 फरवरी, 2018 को माननीय उपाध्यक्ष ने पर्ची पद्धति के सम्बन्ध में व्यवस्था दी कि पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय पर सम्बन्धित सदस्य को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, लेकिन वाद-विवाद नहीं होगा।

4. दिनांक 20 फरवरी, 2018 को माननीय उपाध्यक्ष ने अनुदान की मांगों पर सदन में कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी कि 'अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिये आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

   माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।'

5. दिनांक 20 फरवरी, 2018 को अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम-89 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया।
   श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम-89 में विहित प्रावधानों का पूर्णत: पालन करते हुए विधेयक को वापस लिया गया, जिस पर सदन द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है।
   तत्समय माननीय उपाध्यक्ष ने इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हुए अनुदान की मांगें सदन द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् व्यवस्था दी कि 'श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य,

विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम–89 का हवाला देते हुए प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने की प्रक्रियागत आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अध्यक्षीय व्यवस्था चाही थी। श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा यह आपत्ति उस समय प्रस्तुत नहीं की गई, जिस समय मंत्री महोदय द्वारा प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था। कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उस समय ही उठा सकता है, जिस समय वो विषय सदन में विचारार्थ लिया जा रहा हो। अत: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को मैं अग्राह्य करता हूँ।'

6. दिनांक 27 फरवरी, 2018 को माननीय उपाध्यक्ष ने विभिन्न विभागों/आयोगों/निगमों/उपक्रमों के प्रतिवेदन विधान सभा में समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व्यवस्था दी कि 'आसन आपको कुछ निर्देश प्रदान कर रहा है और निर्देश बड़े ही स्पष्ट प्रदान कर रहा है। इसमें कहीं कोई और गुंजाइश नहीं है इसलिये इन निर्देशों को भली–भांति आप भी और सम्बन्धित मंत्री भी सुन लें, क्योंकि इसकी क्रियान्विति अगले Working day latest by 5th को सुनिश्चित करनी है। राजस्थान विधान सभा के बजट सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवगणों को दिनांक 3.1.2018 को एक परिपत्र जारी कर यह सूचित किया गया था कि सभी विभाग अपने वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन 325 प्रतियों में बजट सत्र से पूर्व या बजट प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व राजस्थान विधान सभा को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, परिपत्र में सुनिश्चित है।

यह प्रक्रिया हर बजट सत्र में अपनाई जाती है तथा सभी विभाग इससे परिचित हैं। ऐसे में अधिकांश विभागों द्वारा दिनांक 3.1.2018 के परिपत्र की पालना नहीं की गई जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन, 72 वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन विधान सभा में निर्धारित तिथि 5.2.2018 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अब again and again की आगे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही 4 कृषि विश्वविद्यालय, सहकारिता विभाग के 2 वार्षिक प्रतिवेदन अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा किये जाने से 3 दिवस पूर्व माननीय सदस्यों को वितरित होने चाहिये थे, लेकिन इन 4 विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन उस दिन सदन की मेज पर रखे गये, जिस दिन सदन की मांग–37 कृषि एवं मांग–36 सहकारिता पर सदन में विचार किया जा रहा है, यह अत्यन्त गंभीर बात है। इनकी सारी सूची भी उपलब्ध है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि निम्नांकित विभागों के प्रतिवेदन तो अभी तक विधान सभा को प्राप्त ही नहीं हुए हैं। उनकी सूची मैं जरूर आपको पढ़कर....लोकायुक्त व उप–लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन 2015–2016, लोकायुक्त व उप–लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन 2016–2017, निदेशक, राजस्थान शहरी विकास परियोजना, जयपुर,

निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान।

बजट सत्र समाप्ति की ओर है, फिर भी इन विभागों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में आसन द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन देरी से प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित मंत्री महोदय को भविष्य में इन प्रतिवेदनों को बजट उपस्थापन से 7 दिवस पूर्व विधान सभा में माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ भिजवाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

अभी हाल ही में दिनांक 15.2.2018 को आसन की ओर से यह व्यवस्था दी गई थी कि वार्षिक प्रतिवेदन रखने में विलम्ब के दोषी कार्मिक/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो। आसन से मार्च, 2017 में स्पष्ट निर्देश हो गये थे, स्पष्ट निर्देशों के बाद भी यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि तकरीबन 7 दिवस पूर्व प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के पास आ जाने चाहिये। ये वार्षिक प्रतिवेदन, जो अब तक नहीं आये। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसका दोषी है, उन पर कार्यवाही करके अगले सप्ताह, आप आसन को अवगत कराएं। यह व्यवस्था हमने 15 तारीख के उपरान्त दी थी। इस व्यवस्था के बावजूद भी अभी तक उक्त विभागों से वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए। जिन विभागों के दिनांक 3.1.2018 के परिपत्र में, मैं सारे वे विभाग ले रहा हूं, 72 जिनके बाद में आये और जिनके अब तक नहीं आये, निर्देशों के अनुसार अपने वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय पर विधान सभा में नहीं भिजवाये, उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मुख्य सचिव इस सचिवालय को सूचित करें। सम्बन्धित मंत्रीगण, आपको समय बता दिया जाएगा, स्पीकर साहब से विचार-विमर्श करके, सी.एस. और ए.सी.एस. और सम्बन्धित मंत्री, जब आपको बुलाया जाए, तो आप स्पष्ट निर्देशों के साथ और आपने क्या कार्यवाही की है, आप स्पीकर के चैम्बर और यहां के सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे।'

इस पर श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने जो व्यवस्था दी है, शिरोधार्य है। निश्चित तौर पर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और कहीं न कहीं छोटी-मोटी चूक हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इतने कठोर निर्देश प्रदान नहीं करें। यह सही है कि जब यह मेरे संज्ञान में आया, मैंने मुख्य सचिव को उसी समय चिट्ठी लिख दी कि वार्षिक प्रतिवेदन जब मांग पारित हो रही है, उसके बाद आया है कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का और आज 3 विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 के। उपाध्यक्ष महोदय, हम खुद कोशिश में हैं, पर आप इतने कठोर हो जाएंगे! अगर इसमें 72 प्रतिवेदन हैं, जो निश्चित समयावधि के बाद आए हैं, तो इसका मतलब राजस्थान सरकार का कोई विभाग बचेगा नहीं, जिसका ए.सी.एस., जिसका सैक्रेटरी और जिसका मंत्री ....., जिसको उपस्थित होना पड़ेगा। थोड़ी-सी मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना

ही कर रहा हूँ। मैं अपने आपको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ कि हमसे चूक हुई है। मैं यह मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा, मैं मुख्य सचिव जी को खुद को बुलाऊंगा, पर आपसे निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कई बार इस विधान सभा के पुराने सदस्य रहे हैं, इस प्रकार की चूक जब भी हुई है, सरकार और संसदीय कार्य मंत्री को एक बार मौका दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप उचित समझें, आपकी व्यवस्था आपने फरमा दी और आपने प्रताड़ित कर दिया, प्रताड़ना को मैं स्वीकार करता हूं। सरकार की तरफ से भी प्रताड़ना स्वीकार करता हूँ, पर आप, उपाध्यक्ष महोदय, इतने कठोर निर्देश नहीं दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सुधरने का कुछ, इसको ठीक कर लेंगे, आपकी आज्ञा की पालना करेंगे।'

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'मैंने जब यह प्रश्न उठाया था तो उसमें 1969 से लेकर अब तक के जितने माननीय अध्यक्षों के आसन की व्यवस्था हुई हैं, उन सब बातों को आपके सामने रखा था और हर व्यवस्था में संसदीय कार्य मंत्री या मंत्री क्षमा मांग लेते हैं। मैं आसन के प्रति बहुत आभारी हूँ कि संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिये, संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं को बचाने के लिये आपने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का आसन से दिया गया एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होगा और माइल स्टोन के रूप में काम आएगा। यहां आने पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पता चलेगा कि सोवरनिटी किसके अन्दर है। मंत्रिमण्डल में नहीं है, सदन में है, इसलिये सदन में आना ही चाहिए। सदन के महत्त्व का पता ही तब चलेगा कि सदन क्या है, इसलिये कोई मंत्रिमण्डल सर्वोच्च नहीं है। यह राजस्थान का सदन सर्वोच्च है और आसन सर्वोच्च है।'

तत्पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि 'इस पूरे सदन का एक विशेषाधिकार है। सामान्य व्यक्ति को तो हमने राइट टू इन्फोर्मेशन के माध्यम से 2005 में वो अधिकार दिया है। आज सामान्य व्यक्ति को भी अपनी सूचना एकत्रित करने का विधि सम्मत एक अधिकार और एक नियम है और एक कार्यप्रणाली है। लेकिन संविधान द्वारा सम्पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकता के अनुरूप जानकारी प्राप्त करके आपने स्वयं ने, आसन ने कई बार यह कहा है कि पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से अगर आप कोई विचार प्रकट करते हैं तो वो मान्य नहीं हैं, तो फिर किस पत्र–पत्रिका के माध्यम से विचार प्रकट किये जाएं जो मान्य हों, इसलिये ये प्रतिवेदन आते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो पिछले एक वर्ष का सम्पूर्ण कार्य होता है सरकार का, उसका समावेश होकर वो हमारे सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह वार्षिक प्रतिवेदन उन–उन विभाग के उस एक वर्ष के कार्यकाल में हुए सम्पूर्ण कार्यों का समावेश है। अगर यह जानकारी सदन को नहीं है, तो किस प्रकार के वाद–विवाद और डिबेट की क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे गंभीर तो यह है कि ये प्रतिवेदन

छप भी जाते हैं, लेकिन ये कार्यालय में पड़े रह जाते हैं। आखिर उस कार्यालय से यहां तक पहुंचने में और यहां के माननीय सदस्यों को हाथ में देने में किसे परेशानी होगी! जानकारी के अभाव में कई बार माननीय सदस्य पूरी तरीके से वाद-विवाद में अपना हिस्सा नहीं ले पाते हैं, इसलिए इस सदन के सर्वोच्च चरित्र को सुरक्षित रखते हुए इन सारे अधिकारियों को लिखित में क्षमा याचना करनी पड़ेगी आसन को, उसके बाद में आसन उदारतापूर्वक विचार करने को बाध्य होगा।'

7. दिनांक 6 मार्च, 2018 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) सदन की मेज पर रखे जाते समय माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को सी.ए.जी. या ए.जी. की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूर्व में आसन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे, जिसका सार मैं समझा देता हूं। जिसके अनुसार आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार as far as possible जहां तक हो सके, अच्छा रहेगा कि ए.जी. की रिपोर्ट बजट के बाद और एप्रोप्रिएशन बिल के पहले आ जाए। चूंकि इस बार बजट सैशन प्रीपोन आया है and A.G. is a constitutional body. आसन सिर्फ आपसे यह निवेदन करता है कि ए.जी. को इस बात की हिदायत दे दें कि जब भी बजट सैशन कॉल हो, इसके लिए तैयारी रखें। एप्रोप्रिएशन बिल के पहले जितनी रिपोर्ट्स उनको पेश करनी हैं, वे सारी की सारी पेश कर दें। माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'भविष्य में ए.जी. के प्रतिवेदन एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार किये जाने से पूर्व विधान सभा में प्रस्तुत कर दिये जाएं।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 138 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 7366 तारांकित/अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से 128 माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 3312 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 359 तारांकित प्रश्न,सूचीबद्ध हुए। 43 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 3 सदस्यों ने 39-39, 2 सदस्यों ने 38-38 तथा शेष 80 सदस्यों ने 37 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती सोना देवी, श्रीमती कामिनी जिंदल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती द्रोपती एवं श्रीमती अनिता ने सर्वाधिक 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध प्रश्नों में सर्वाधिक 11 प्रश्न श्रीमती द्रोपती, 10 प्रश्न श्री बनवारी लाल सिंघल तथा 9-9 प्रश्न श्री जोगाराम पटेल, श्री हनुमान बेनीवाल तथा श्री शंकरसिंह रावत के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती द्रोपती के 11, श्रीमती अलका सिंह के 7 तथा श्रीमती सोना देवी एवं श्रीमती अमृता मेघवाल के 4-4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 134 सदस्यों द्वारा 4054 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 430 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। 24 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 5 सदस्यों ने 59-59 तथा शेष 105 सदस्यों ने 57 अथवा इससे कम

प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती द्रोपती एवं श्रीमती सोना देवी ने सर्वाधिक 60–60 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध प्रश्नों में सर्वाधिक 15 प्रश्न डॉ. मंजू बाघमार तथा 13 श्रीमती अलका सिंह के थे। पुरुष सदस्यों में श्री रमेश के सर्वाधिक 12 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागवार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 307 प्रश्न शिक्षा विभाग, 274 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 215 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 213 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 203 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 19 प्रश्न शिक्षा विभाग, 18–18 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 352 प्रश्न शिक्षा विभाग, 284 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 241 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 210 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 187 प्रश्न पंचायतीराज विभाग तथा 185 प्रश्न गृह विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 23–23 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 22 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा 19–19 प्रश्न गृह विभाग, शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाए तो दशम् सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2360 तारांकित प्रश्नों में से 263 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 543 में से 51, निर्दलीय सदस्यों के 209 में से 28, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 51 में से 8, बहुजन समाज पार्टी के 69 में से 2 तथा एन.यू.जेड.पी. के 80 में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2785 प्रश्नों में से 319 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 642 में से 62, निर्दलीय सदस्यों के 273 में से 14, बहुजन समाज पार्टी के 53 में से 3, एन.यू.जेड.पी. के 119 में से 15 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों के 182 में से 17 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाए तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 425 तारांकित प्रश्नों में से 43 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 588 अतारांकित प्रश्नों में से 97 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 2887 तारांकित प्रश्नों में से 316 तथा 3466 अतारांकित प्रश्नों में से 333 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 286 तारांकित प्रश्नों में से 34 तथा 326 अतारांकित प्रश्नों में से 66 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी के 9 में से 1 तारांकित और 69 में से 7 अतारांकित प्रश्न, एन.यू.जेड.पी. के 80 में से 7 तारांकित और 119 में से 15 अतारांकित तथा निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 11 तारांकित में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ जबकि 18 अतारांकित में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा प्रस्तुत 39 तारांकित में से 1 तथा प्रस्तुत 56 अतारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

समीक्ष्य सत्र में सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 96 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 9 प्रश्न 9 मार्च, 2018 को तथा 6-6 प्रश्नों पर 9,16,20,22,23,26,27,28 फरवरी एवं 5 मार्च, 2018 तथा 5-5 प्रश्नों पर दिनांक 6,15,19 फरवरी एवं 6 व 7 मार्च, 2018 को चर्चा हुई। दिनांक 14 फरवरी, 2018 को 4 प्रश्नों पर एवम् 7 व 8 फरवरी, 2018 को 3-3 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

दशम् सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 25 माननीय सदस्यों के 141 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी, इनमें से 61 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गयी। 54 स्थगन प्रस्तावों पर सदस्यों को 2 मिनिट बोलने का अवसर दिया गया। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 15 सदस्यों ने 88 प्रस्ताव, 5 निर्दलीय सदस्यों ने 24 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के 2 सदस्यों ने 15 प्रस्ताव, एन.यू.जेड.पी. के दो सदस्यों ने 10 प्रस्ताव तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के एक सदस्य ने 4 प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 13 प्रस्ताव, निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका ने 3 प्रस्ताव तथा एन.यू.जेड.पी. की श्रीमती सोना देवी एवं श्रीमती कामिनी जिंदल ने क्रमशः 8 एवं 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। श्री सुखराम विश्नोई, श्री भंवरसिंह एवं श्रीमती शकुन्तला रावत ने सर्वाधिक 13-13 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। श्री हनुमान बेनीवाल ने 10 एवं श्री पूरणमल सैनी एवं श्रीमती सोना देवी ने 8-8 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। तीन सदस्यों ने 7-7 प्रस्ताव प्रस्तुत किये तथा शेष 15 सदस्यों ने 6 अथवा इससे कम प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 86 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 178 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 73 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 105 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 66 सदस्यों ने 137, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 11 सदस्यों ने 27, 5 निर्दलीय सदस्यों ने 6, बसपा के दो सदस्यों ने 3 तथा एन.यू.जेड.पी. के 2 सदस्यों द्वारा 5 सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत सूचनाओं में से 33 सूचनाएँ 14 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 10 सदस्याओं ने 22 सूचनाएँ, एन.यू.जेड.पी. की दो सदस्याओं ने 5 सूचनाएँ तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत एवं निर्दलीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका ने क्रमशः 5 एवं 1 सूचनाएं प्रस्तुत कीं। महिलाओं में सर्वाधिक 5 सूचनाएँ इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने प्रस्तुत कीं। 4-4 सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने प्रस्तुत कीं। पुरुष सदस्यों में भाजपा के श्री अमृतलाल, श्री छोटू सिंह, श्री हमीर सिंह भायल, श्री तरुणराय कागा, श्री मेवाराम जैन, श्री गिर्राज सिंह एवं श्री भंवरसिंह ने सर्वाधिक 4-4 सूचनाएँ

प्रस्तुत कीं। शेष 13 सदस्यों ने 3–3, 35 सदस्यों ने 2–2 तथा शेष 28 सदस्यों ने एक–एक सूचना प्रस्तुत की।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 44 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 62 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गयी जिनमें से एक विषय पर एकाधिक मंत्रियों द्वारा कुल 67 अभ्युक्तियां दी गयी। भारतीय जनता पार्टी के 36 सदस्यों द्वारा 52 विषय, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 6 सदस्यों ने 7 विषय, निर्दलीय सदस्य श्री नन्दकिशोर महरिया ने एक विषय तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री पूरणमल सैनी ने दो विषय उठाये। महिला सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती द्रोपती ने एक विषय उठाया। सर्वाधिक 5 विषय भारतीय जनता पार्टी के श्री तरुण राय कागा ने उठाये। दो सदस्यों द्वारा 3–3, 10 सदस्यों द्वारा 2–2 तथा शेष 31 सदस्यों द्वारा एक–एक विषय उठाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

दशम् सत्र में 11 सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 11 मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के 10 सदस्यों तथा इनेकां के श्री धीरज गुर्जर द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में एक महिला सदस्य श्रीमती अलका सिंह थीं।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 30 सदस्यों ने 42 याचिकाओं का सदन में उपस्थापन किया। भारतीय जनता पार्टी के 23 सदस्यों ने 33, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 5 सदस्यों ने 6, निर्दलीय श्री हनुमान बेनीवाल तथा एन.यू.जेड.पी. की श्रीमती सोना देवी ने एक–एक याचिका का उपस्थापन किया। 7 महिला सदस्यों ने 10 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। याचिका उपस्थापित करने वाली महिला सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्यों ने सात, एन.यू.जेड.पी. की श्रीमती सोना देवी ने दो तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने एक याचिका उपस्थापित की। भाजपा के श्री जोगाराम पटेल ने सर्वाधिक 4 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। दो सदस्यों ने 3–3, 5 सदस्यों ने 2–2 तथा शेष 22 सदस्यों ने एक–एक याचिका उपस्थापित की।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

दशम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 32, राजकीय उपक्रम समिति के 14, प्रश्न एवं संदर्भ समिति एवं कार्य सलाहकार समिति के 5–5, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के 4, याचिका समिति एवं प्राक्कलन समिति 'ख' के 2–2, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति 'क' एवं का एक–एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया। उक्त के

अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति ने भी दिनांक 6 फरवरी, 2018 को प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

1. दिनांक 23 फरवरी, 2018 को श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री ने कर्ज माफी को लेकर जारी किसान आन्दोलन पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही तथा श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री ने किसानों का कर्ज माफ करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। इस पर 8 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये।
2. दिनांक 5 मार्च, 2018 को श्री गुलाबचन्द कटारिया, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री ने प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

1. दिनांक 15 फरवरी, 2018 को श्री प्रभू लाल सैनी, कृषि मंत्री ने प्रश्न संख्या 123 का उत्तर देते समय गलत आंकड़े प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।
2. दिनांक 19 फरवरी, 2018 को श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने दिनांक 16 फरवरी, 2018 को श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन पर लगाये गये कथित रूप से सट्टा लगाये जाने के आरोपों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

दशम् सत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2018 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री ने राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों 2017–18 (द्वितीय संकलन) एवं वर्ष 2014–15 के लिए अतिरेक मागों का उपस्थापन किया। अनुपूरक अनुदान की मांगों दिनांक 28 फरवरी, 2018 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर पारित किया गया परन्तु अतिरेक मांगों में कोई दत्तमत्त राशि नहीं होने के कारण मांगें मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत नहीं की गयीं।

(ख) आय–व्ययक अनुमान 2018–19

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य के आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2018–19 का उपस्थापन किया। दिनांक 14 फरवरी, 2018 को उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने आउटपुट बजट वर्ष 2016–17 तथा आउटकम बजट वर्ष 2017–18 सदन में प्रस्तुत किया। आय–व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद में 31 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । प्रथम दिन दिनांक 14 फरवरी, 2018 को 9; 15 फरवरी, 2018 को 21 तथा 19 फरवरी, 2018 को एक सदस्य ने चर्चा में भाग लिया। दिनांक 19 फरवरी, 2018 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने चर्चा का उत्तर दिया।

सामान्य वाद–विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 23, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 6, बसपा के श्री मनोज कुमार तथा एन.यू.जेड.पी. की श्रीमती सोना देवी ने भाग लिया। चर्चा में 6 महिला सदस्यों ने भाग लिया।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 5 मार्च, 2018 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
19	लोक निर्माण कार्य	20.02.2018	158	26
21	सड़कें एवं पुल	20.02.2018	286	26
42	उद्योग	22.02.2018	197	15
43	खनिज	22.02.2018	183	15
27	पेयजल योजना	23.02.2018	279	37
46	सिंचाई (इं.गां.न. परि.सहित)	23.02.2018	207	37
37	कृषि	26.02.2018	124	17
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	26.02.2018	117	17
36	सहकारिता	26.02.2018	103	17
16	पुलिस	27.02.2018	260	18
17	कारागार	27.02.2018	112	18
26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, और सफाई	28.03.2018	308	38
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	05.03.2018	312	39

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2018 को सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15–15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व देते हुए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें ।

(ख) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2018 को राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (वर्ष 2017 का अध्यादेश सं. 4) को सदन की मेज पर रखा गया।

(ग) प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि

दिनांक 5 फरवरी, 2018 को श्री गुलाबचन्द कटारिया ने दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

(घ) वापस लिया गया विधेयक

दिनांक 20 फरवरी, 2018 को श्री यूनुस खान ने सदन की आज्ञा प्राप्त किये जाने के उपरांत प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिया।

(ड़) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन में पुर:स्थापित किये गये । विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है –

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
1/2018	राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2018	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018
2/2018	राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2018	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018
3/2018	राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2018	05.03.2018	06.03.2018	06.03.2018
4/2018	राजस्थान वित्त विधेयक, 2018	12.02.2018	06.03.2018	06.03.2018
5/2018	राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018	22.02.2018	07.03.2018	07.03.2018
6/2018	राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018	26.02.2018	07.03.2018	07.03.2018

7/2018	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	06.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
8/2018	राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018	06.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
9/2018	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018	06.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
10/2018	दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018	06.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
11/2018	श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018	06.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
12/2018	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018	09.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
13/2018	राजस्थान इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018	09.03.2018	09.03.2018	09.03.2018
39/2017	दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017*	23.10.2017	07.03.2018	07.03.2018
13/2015	राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015**	22.03.2015 22.03.2015	07.04.2015 07.03.2018	07.04.2015 07.03.2018

* प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित

** राज्यपाल महोदय द्वारा लौटाये गए विधेयक पर पुनर्विचार

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य दशम् सत्र में सदन में निम्नांकित दिवंगत व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया –

क्र.	नाम	पद	निधन की तिथि
		05.02.2018	
1.	श्री बी.एल. जोशी	पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड एवं मेघालय	22.12.2017

2.	श्री दिनेश नंदन सहाय	पूर्व राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एवं त्रिपुरा	29.01.2018
3.	डॉ. दिगम्बर सिंह	पूर्व सदस्य, 12वीं एवं 13वीं विधान सभा	27.10.2017
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़	पूर्व सदस्य, 12वीं विधान सभा	14.01.2018
5.	श्री उदय सिंह राठौड़	पूर्व सदस्य, 11वीं विधान सभा	18.12.2017
6.	श्री रामसहाय सोनड़	पूर्व सदस्य, 7वीं विधान सभा	15.11.2017
7.	श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	04.11.2017
8.	सवाई माधोपुर के पास बनास नदी की बस दुर्घटना के मृतक		

15.02.2018

9.	श्री जगमाल सिंह यादव	पूर्व सदस्य, 8वीं, 9वीं व 11वीं विधान सभा	13.02.2018
10.	जम्मू–कश्मीर में हुए हिमस्खलन एवं आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए सैनिक		

19.02.2018

11.	ब्यावर में गैस सिलेण्डर फटने से हुई दुर्घटना के मृतक		

21.02.2018

12.	श्री कल्याण सिंह चौहान	सदस्य, 13वीं व 14वीं विधान सभा	21.02.2018

27.02.2018

13.	श्री भानुकुमार शास्त्री	पूर्व सांसद व पूर्व सदस्य, 5वीं विधान सभा	24.02.2018
14.	श्री रामजी लाल महामना	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	25.01.2018

✧✧✧